BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 18 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Kadir Ahmad &Ors ...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors....Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit Of District Magistrate Rampurin compliance of order dated 24.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**ANNEXURE R-1** A Copy of joint inspection committee report dated 07-03-2025	
3.	**ANNEXURE R-2** A copy of letter dated 02.05.2025.	
4.	**ANNEXURE R-3** Acopyof First Information Report dated 19.07.2023.	

5.	**ANNEXURE R-4** A copy of Hon'ble High Court, Allahabad order dated 24th March 2025	
6.	**ANNEXURE R-5** A copy of Government Order dated 9th June 2021	

DATED:- 10.09.2025

FILEDTHROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDINEAST, NEWDELHI- 110013

MOB:- 09990804440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 18 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Kadir Ahmad &Ors ...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors....Respondent(s)

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE RAMPUR

IN

COMPLIANCE OF ORDER DATED 24.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No.3 Hereinstates as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Jogindra Singh aged 36 years S/o Shri Vijay Singh, presently posted as District Magistrate District Rampur, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

DEPONENT

That I am the above mentioned officer of the answering Respondent No.3 and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

2. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the deponent is posted as District Magistrate District Rampur since 30-01-2024

4. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 24.01.2025 was pleased to pass the following directions:

"...........9 Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit

DEPONENT

at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal........."

That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 24.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That the present Original Application, has been filed by the applicantsseekingcompensation on account of death of five children which occurred on 19.07.2023 due to drowning in the pit, which was illegally dug beyond the permissible limits by Respondent No. 4 and 5, for excavation of the brick earth (ordinary soil) from the land adjacent to the brick fieldwhich is located at Village Gahni, Tehsil Shahbad, District Rampur.

6. That in respectful compliance of the order dated 24.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent herein Orally constituted a joint committee comprising of administrative officials comprising of SubDivisional Magistrate Shabad District Rampur, District Mines Officer Rampur and Regional Officer of Regional Office District Rampur and directed them to

DEPONENT

ascertain the allegations raised in the instant Original Application and submit a factual report.

7. That the aforesaid joint committee inspected the defaulter brick klin (M/s Shama Brick Works,Gata 498 Village Gheni on 07.03.2025. During the course of inspection, it was observed that the pit was filled with soil and leveled and no new pit was found at the site. A copy of joint inspection committee report is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**

8. That it has been informed that the allegedbrick kiln has obtained consent to operate form UPPCB with validity till 31.07.2029. During joint inspection dated 07.03.2025 the brick kiln was found operational but the ladder, platform and port hole at stack in the brick kiln were found damaged.

9. That the Revenue Lekhpal Shri Sumit Kumar Saxena in its report dated 19.07.2023 which is annexed along with the letter of SDM Shahbad Rampur dated 02.05.2025 informed that the alleged brick kiln (M/s Shama Brick Works) situated at Gata No. 498, Village-Gehni, Tehsil-Shahbad, District-Rampur has done illegal mining of ordinary soil of 792 cubic meter. A copy of letter dated 02.05.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**

DEPONENT

10. That the then District Mining Officer District Rampur, lodged First Information Report No. 0154 dated 19.07.2023 under section 304 of the Indian Penal Code, 1860 against Respondent No.5. A copy of First Information Report dated 19.07.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

11. That in the aforesaid FIR chargesheet was filed and summoning order issued by the court of Chief Judicial Magistrate, Rampur, which was challenged by the accused by filling the writ petition Application U/S 528 BNSS No. – 8387 of 2025 before the Hon'ble High Court, Allahabad, Wherein the Hon'ble High Court passed order dated 24-03-2025 and stayed further proceedings against the applicant. Presently case is pending in the Hon'ble High Court, Allahabad. A Copy of the order dated 24-03-2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

12. That it has been further informed that against the aforesaid brick klin a closure order dated 26.08.2025 has been passed by the UPPCB.

13. That it is further submitted that as per the mandate of the Government Order (Revenue Department 11) No. 387/F- 11-2021-4 (G) 2105 Dated 9th June 2021, at serial no.2 it is stated that death occurring from

DEPONENT

drowning will be covered under State Disaster Relief and Rupees Four Lakhs as compensation will be awarded. A copy of Government Order dated 9th June 2021 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

14. That accordingly Rupees Four Lakhs each as relief compensation was awarded to the applicants for the death of theirfive children/grandchildren who drowned in the pit which was illegally dug up the Respondent No.4. That an amount of total Rupees Twenty Lakhs (20, 00,000/-) through e-payment was transferred in the bank account of the applicant on 29.07.2023 by the Sub Divisional Magistrate Tehsil Milak District Rampur.

15. That in the interest of justice the present reply affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above

DEPONENT

application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of 10\9\ 2025.

DEPONENT

S. No. 13 Date 10/9/25
I certified that Joginder Singh
Identified by Rajveer Singh
Swore to / Solemnised / Signed
the contents of affidavit being true in
my presence after fully understanding its
contents Dated 10/9/25

Identified by
RAJVEER SINGH
Advocate
Regd. No. 4648/2008
COP No.- 105678
Distt. Court Rampur (U.P.)
Mob. No.- 9410051574

ओथ कमिश्नर
रजि. न.6824/201
सीओपी नं.263282/2024
मो 9761865666
जिला कचहरी, रामपुर

ANNEXURE - R1

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 18/2025 (आई०ए० नं० 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन के संबंध में प्रस्तरवार आख्या –

उपरोक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच 23798/सी–7/ओ०ए०नं०–18 2025 दिनाक 05.02.2025 के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ०ए० नं० 18/2025 (आई०ए० नं० 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं –

"..............3. *Learned counsel for the applicant points out that Respondents Nos. 4 and 5 dug the pits in violation of the OM dated 24.06.2023 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which sets the limits for borrowing/excavation activity, provides for the restoration of the borrowed/excavated pit by the project proponent, and fences all around the pit.*

4. Learned counsel for the applicant submits that those directions contained in the O.M. were not complied with, consequently, 5 children had drowned in the illegally dug up pit which was filled with rainwater when they were playing in the field and got confused that the rainwater filled pit was a normal agricultural field filled with rainwater. The depth of the pit was around 9 feet. In this regard, he has also placed reliance upon the newspaper reports filed as annexure A/1.

11. List on 06.05.2025................."

उक्त के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), रामपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभाग के निम्नानुसार समिति का गठन किया गया। गठित समिति के अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है –

1. श्री महेन्द्र सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
2. श्री अमित रंजन, खान अधिकारी, रामपुर।
3. श्री हिमांशु उपाध्याय, उपजिलाधिकारी, तहसील शाहबाद, रामपुर।

इसी कम में प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं० 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर का उक्त समिति द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुए तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं० 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर (अक्षांश 28.466273 एवं देशान्तर 78.985447) पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

AEE

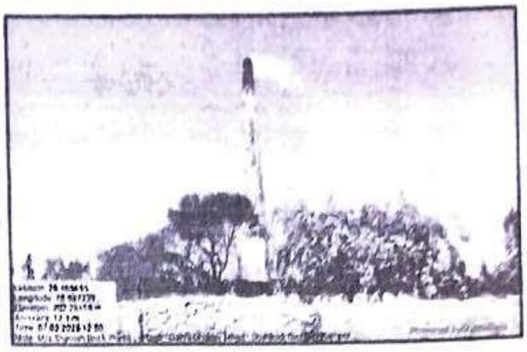

2. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ईट भट्ठे के प्रोपराइटर श्री शरीफ अहमद द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे को श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर को संचालन हेतु किराये पर दिया गया है। वर्तमान में ईट भट्ठे का संचालन श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर द्वारा किया जा रहा है। उक्त के संबंध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा ईट भट्ठे के प्रोपराइटर श्री शरीफ अहमद, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम गहनी, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर के मध्य हुए किरायेनामे एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी **(छायाप्रति संलग्न–1 पर संलग्न है)।**
3. वर्तमान में उक्त ईट भट्ठे को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल के ऑनलाइन संदर्भ सं0 221525/UPPCB/Moradabad(UPPCBRO)/CTO/both/RAMPUR/2024 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से सहमति जल व वायु निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.07.2029 तक है **(छायाप्रति संलग्न–2 पर संलग्न है)।**
4. उक्त ईट भट्ठे के द्वारा सत्र 2024–25 हेतु विनियमन शुल्क जमा किया गया है, जिसके उपरान्त ईट भट्ठा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो दिनांक 30.09.2025 तक वैध है। **(छायाप्रति संलग्न–3 पर संलग्न है)।**
5. उक्त संदर्भित ईट भट्ठा गोलाकार है, जिसके मध्य में भूतल से लगभग 30 मी0 ऊँचाई की चिमनी स्थापित है। ईट भट्ठे में 04 डक्ट चिमनी से सम्बद्ध है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठे की चिमनी से जनित उत्सर्जकों के अनुश्रवण हेतु लैडर, प्लेटफार्म व पोर्ट हॉल क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया।
6. उक्त संदर्भित ईट भट्ठे द्वारा कच्ची ईंटो की पथाई हेतु पश्चिम दिशा में मिट्टी का खनन कार्य/पथेर का कार्य किया जाता पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखों में उक्त संदर्भित ईट भट्ठे को कच्ची ईंटो की पथाई हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसिसमेन्ट अथॉरिटी, रामपुर द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–446/81–7–2020–39(पर्या)/

2017 टी0सी0–1, दिनांक–01.05.2020 (छायाप्रति संलग्न–4 पर संलग्न है) के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में प्रदेश में स्थापित ईंट भटठों को निम्नानुसार छूट प्रदान की गयी है–

"ईंट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्त संचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिटटी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओ, के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गडढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आर0ए0 अधिसूचना दिनांक–28.03.2020 में उल्लेखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तसंचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिटटी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।"

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में उल्लिखित प्रश्नगत स्थल (अक्षांश 28.466273, देशान्तर 78.985447) ईट भट्ठे के पश्चिम दिशा में लगभग 180 मी0 की अनुमानित दूरी पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में कोई गढ्ढा नहीं है। निरीक्षण के दौरान गढ्ढे का मिट्टी से भराव कार्य पूर्ण पाया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी खुदाई/कच्ची ईंटों की पथाई स्थल एवं प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार की तारबन्दी एवं सांकेतिक बोर्ड स्थापित नहीं पाया गया। मिट्टी खुदाई/कच्ची ईंटों की पथाई स्थल एवं प्रश्नगत स्थल पर निकटतम स्थित अन्य ईट भट्ठा स्थल एवं उत्तर दिशा में बाउण्ड्री के समीपस्थ कृषि भूमि के तल से 2.0 मी0 से अधिक गहराई पर खनन किया जाना परिलक्षित हुआ।

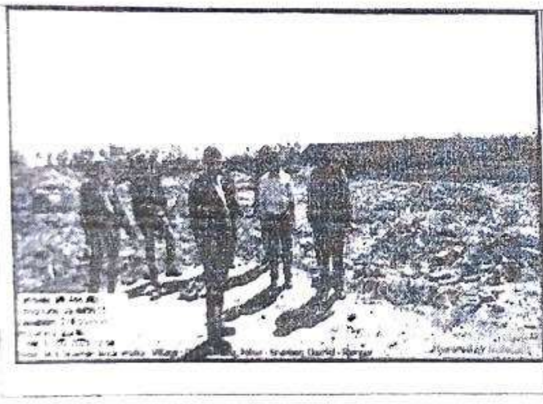

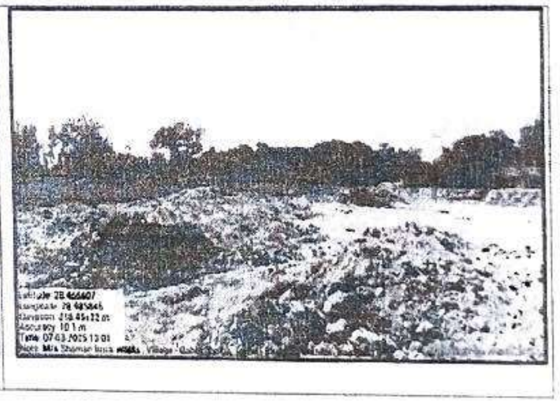

9. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 71 से 74 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार "प्रश्नगत मिट्टी खुदाई स्थल पर वर्ष 2023 में ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन, निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर द्वारा पथेर हेतु मानकों से अधिक गहराई की खुदाई किये जाने एवं खुदाई स्थल पर वर्षात् का पानी भर जाने के

कारण, स्थल पर कोई तारबन्दी अथवा सांकेतिक बोर्ड न होने के कारण दिनांक 19.06.2023 को 05 बच्चे क्रमशः – अलीना पुत्री श्री कदीर (उम्र लगभग 12 वर्ष), गुलपशा पुत्री श्री नियाज़ अली (उम्र लगभग 12 वर्ष), सना पुत्री श्री इसरार (उम्र लगभग 12 वर्ष), चंचल पुत्री श्री मोहन (उम्र लगभग 12 वर्ष) व अकील पुत्र श्री शकील (उम्र लगभग 12 वर्ष) की गढ्ढे में भरे हुए पानी में डूबने से मृत्यू हो गयी थी। उक्त घटना के संबंध में जिला प्रशासन, रामपुर की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को रू0 4.0 – 4.0 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न–5 पर संलग्न है)**।

10. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 26 से 28 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ''उक्त घटना के संबंध में मानक से अधिक मिट्टी उठाने के कारण गढ्ढा बनने के संबंध में दिनांक 19.07.2023 को मु0अ0सं0–154/2023 अ0धारा0–304 आई0पी0सी0 थाना शाहबाद, रामपुर में ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन के विरूद्ध दर्ज की गयी थी, जोकि मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय, रामपुर स्तर पर विचाराधीन है'' **(छायाप्रति संलग्न–6 पर संलग्न है)** ।
11. निरीक्षण के दौरान उपस्थित श्री भगवान दास (ईट भट्ठा मुंशी) पुत्र श्री उत्तम द्वारा उक्त घटित दुर्घटना के संबंध में अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा स्वामी द्वारा कच्ची ईंटो की पथाई हेतु खनन क्षेत्र/पथाई क्षेत्र में 2.0 मी0 से अधिक गहराई में मिट्टी की खुदाई की गयी थी तथा इस प्रकार के कई गढ्ढे बनाये गये थे। गढ्ढों का प्रयोग ईट पथाई हेतु गारा बनाने में किया गया था।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त वर्णित ओ0ए0 की रिट के पृष्ठ सं0– 43 से 47 पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त घटित घटना के संबंध में श्री हरस्वरूप मौर्य पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी ग्राम औसी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री भगवान दाय पुत्र श्री उत्तम, निवासी ग्राम गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री नरेश पुत्र श्री भूपाल, निवासी ग्राम गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर, श्री कल्लू पुत्र श्री भूपाल, निवासी गदमरपट्टी, थाना शाहबाद, रामपुर आदि द्वारा ईट भट्ठा स्वामी श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री शब्बीर हसन, निवासी ग्राम ढकिया, थाना शाहबाद, रामपुर के विरूद्ध बयान दर्ज कराये गये है **(छायाप्रति संलग्न–7 पर संलग्न है)**।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट/रेस्पॉन्स की प्रस्तरवार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अमित रंजन)
खान अधिकारी, रामपुर

(महेन्द्र सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

(हिमांशु उपाध्याय)
उप जिलाधिकारी
तहसील शाहबाद, रामपुर

ANNEXURE - R2

कार्यालय उप जिलाधिकारी शाहबाद जनपद रामपुर।

संख्या 511 /एस0टी0

दिनांक 02/05/2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
मुरादाबाद

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संवख्या 651/एन–13/18/2025/जनरल दिनांक 01.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 18/2025 (आई0ए0 नं0 33/2025) कादिर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाक 24.01.2025 के अनुपालन हेतु राजस्व अभिलेखों में संरक्षित के सम्वन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के संम्बन्ध में तहसील शाहबाद द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी सूचना की छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

उपजिलाधिकारी
शाहबाद, रामपुर।

महोदय

ग्राम गहनी व गदमरपट्टी टीकासिंह के क्षेत्रवासियों द्वारा शरीफ के भट्टे के पास बने गड्ढ़े में भरे हुए पानी में बच्चों के डूबने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर स्थलीय निरीक्षण किया गया कृपया उक्त घटना का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

मौके पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय , श्रीमान खनन अधिकारी महोदय , श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय ,हल्का लेखपाल गदमरपट्टी टीकासिंह,हल्का लेखपाल गहनी के साथ निरीक्षण किया गया। ग्राम गदमरपट्टी टीकासिंह की सीमा से सटे हुए ग्राम गहनी आराजी गाटा संख्या 494 रकवा 0.9300 हेक्टर , गाटा संख्या 496 रकवा 0.454 हेक्टर, गाटा संख्या 497 रकवा 0.464 हेक्टर में शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन निवासी ठकिया का ईट भट्टा हैं। गाटा संख्या 494 0.9300 हेक्टर के आंशिक भाग में 18 मी लंबा , 20 मी चौड़ा गड्ढा बना हुआ था ।जिसमे पानी भरा हुआ था। पानी के स्तर से ऊपर का भाग 5 फीट पाया गया। स्थानीय निवासी रघुवीर पुत्र डोरीलाल व तेजपाल पुत्र भागीरथ निवासी गदमर पट्टी की साहयता से पानी के स्तर के नीचे की गहराई का मापन बांस द्वारा किया गया। पानी के नीच के औसत गहराई 9 फीट पाथी गयी। अतः गड्ढे की कुल गहराई 14 मीटर मापी गयी। अतः यह कहना उचित होगा कि उक्त गहराई खनन मानकों से अधिकं हैं। उक्त गड्ढे में भरे हुए पानी में बकरी चराने के दौरान स्नान करते समय दिनांक 19/07/23 समय लगभग साँय 4:30 बजे अलीना पुत्री कदीर आयु 12 वर्ष ,अकील पुत्र सकील अहमद आयु 10 वर्ष ,गुलव्शा पुत्री नियाज आयु 10 वर्ष ,सना पुत्री इसरार आयु 10 वर्ष ,चंचल पुत्री मोहन आयु 10 वर्ष निवासी गदमर पट्टी मोती सिंह की प्रत्यु हो गयी। इस प्रकार उनके द्वारा मिट्टी के अवैध खनन से बने गड्ढे में पानी भर जाने के कारण बच्चों की प्रत्यु हो गयी। आख्या सेवा में सादर प्रेषित

19/07/23
Sumit Kr Saxena
Per Lekhpal
Madhukar

19-07-023

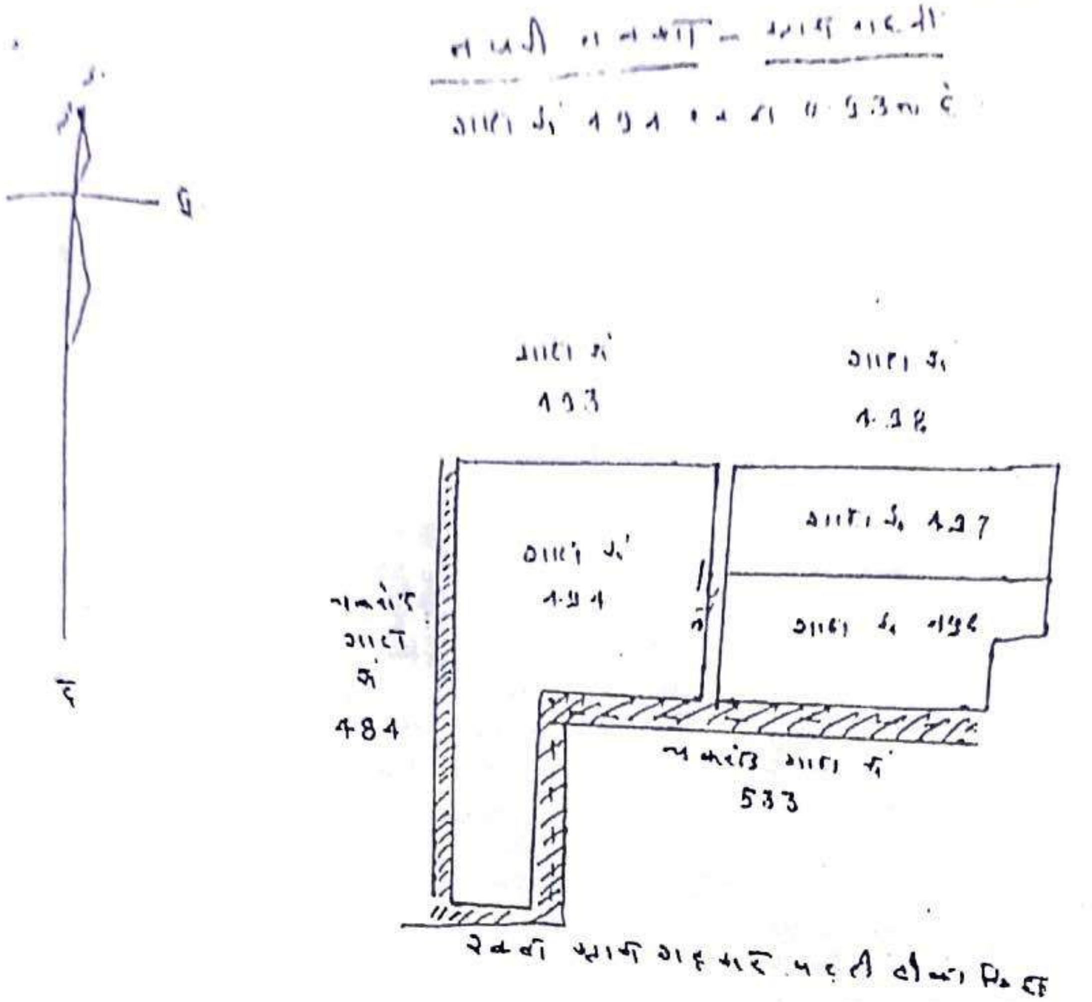

20/07/23

Sumit Kr Saxena
Revr. Lekhpal

ANNEXURE -R3

N.C.R.B (प्र.सू.रि.)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): रामपुर
FIR No. (प्र.सू.रि. 0191   P.S. (थाना): शाहबाद   Year (वर्ष): 2023
Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 19/07/2023 23:46 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	भा द सं 1860	304

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): बुधवार
Time Period (समय अवधि): पहर 1   Date From (दिनांक से): 19/07/2023   Date To (दिनांक तक): 19/07/2023
Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 19/07/2023   Time (समय): 23:46 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 080   Date & Time (दिनांक और समय): 19/07/2023 23:48 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 10 किमी   Beat No. (बीट सं.): ?
(b) Address (पता): जंगल ग्राम गिहुनी थाना शाहबाद, जिला रामपुर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा से बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): इसरार
(b) Father's Name (पिता का नाम): सुते
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
?		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम गदमर चौकी ढकिया, शाहबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम गदमर चौकी ढकिया, शाहबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

1

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

...व्यवसाय):

...ber (दूरभाष सं.):   Mobile (मोबाइल सं.):

...own/suspected/unknown accused with full particulars
...ज्ञात / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
शरीफ अहमद		पिता का नाम : शब्बीर हसन	1. ग्राम ढकिया ,शाहबाद,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, कोतवाली शाहबाद, जनपद रामपुर महोदय,निवेदन है कि शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन निवासी ग्राम ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर का जंगल ग्राम गैहनी में शाना ब्रिक वर्कस के नाम से ईट का भट्टा स्थित है। शरीफ अहमद उपरोक्त द्वारा अपने भट्टे में ईटो के निमार्ण कार्य हेतु अपने खेत में से मिट्टी का खनन करते है। उक्त भट्टे के स्वामी शरीफ अहमद उपरोक्त द्वारा अपने खेत में से मानक से अधिक मिट्टी उठाने के कारण एक गहरा गड्ढा बन गया जिसमें बरसात का पानी एकत्रित हो गया है। शरीफ अहमद उपरोक्त को यह ज्ञात था कि यदि उक्त गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाये तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की पूर्ण सम्भावना है। शरीफ अहमद द्वारा उक्त गड्ढे को भरने का कोई प्रयास नही किया गया शरीफ अहमद के द्वारा किये गये उक्त कृत्य से आज दिनांक 19.06.2023 को पांच बच्चे गुलअफसा आयु 12 वर्ष पुत्री नियाज अली , सना आयु 12 वर्ष पुत्री इसरार , चंचल आयु 12 वर्ष पुत्री मोहन ,अलीना आयु 12 वर्ष पुत्री कदीर , आकिल अहमद आयु 15 वर्ष पुत्र शकील अहमद नि0गण ग्राम गदमर चौकी ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर बकरी के चराते समय शरीफ अहमद द्वारा खुदवाये गहरे गड्ढे मे गिर गये और उक्त बच्चो की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। सना मेरी छोटी बेटी थी। ग्राम के बच्चे आये दिन यहा पर खेलने के लिए आते थे जिसकी जानकारी शरीफ अहमद को थी फिर भी शरीफ अहमद ने उक्त गड्ढा नही भरा। महोदय उक्त घटना शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन उपरोक्त के द्वारा ईटो के निर्माण हेतु खोदे गये गहरे गड्ढे के कारण हुई है यदि शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन उपरोक्त द्वारा समय से खोदे गये गड्ढे को भर देता है तो उक्त घटना घटित नही होती और ना ही मासूम पांच बच्चे गुलअफसा पुत्री नियाज अली , सना पुत्री इसरार , चंचल पुत्री मोहन ,अलीना पुत्री कदीर , आकिल अहमद पुत्र शकील अहमद नि0गण ग्राम गदमर चौकी ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर की मृत्यु कारित होती। अतः महोदय से निवेदन है कि शरीफ अहमद पुत्र शब्बीर हसन निवासी ग्राम ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर के विरूद्ध उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी इसरार पुत्र मुन्ने नि0 ग्राम गदमर चौकी ढकिया थाना शाहबाद जनपद रामपुर मो0न0 9654434475 नोट मैं हे0का0 615 दीपक कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द मेरे द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल पर टाईप की गयी है। मूल तहरीर संलग्न एफआईआर है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत:

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):KARAN PAL SINGH Rank (पद): I (Inspector)
No.(010900068 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया):

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फार्म-I)

or (डि-कार्ड) इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (क्षेत्राधिकार के कारण)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

इस्तखार

SHO

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): THANA SHAHBAD
Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): [illegible]

ANNEXURE-R4

Court No. - 72

Case :- APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 8387 of 2025

Applicant :- Sharif Ahamad
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Rajesh Kumar Mishra
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Sanjay Kumar Pachori,J.

Heard Shri Rajesh Kumar Mishra, learned counsel for the applicant and Shri Alok Mishra, learned A.G.A. for the State.

The present application under Section 528 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 has been filed by the applicant to quash the entire proceedings of criminal case No. 3713 of 2024 (State Vs. Sharif and others) arising out of case crime No. 154 of 2023, under Section 304, I.P.C., Police Station- Shahbad, District Rampur as well as cognizance/summoning order dated 8.5.2024, pending in the court of Chief Judicial Magistrate, Rampur.

Learned counsel for the applicant submits that the first information report dated 19.7.2023 has been lodged on the basis of false and frivolous allegations with ulterior motive and only to harass the present applicant. It is further submitted that owner of the brick kiln is the son of the present applicant and the applicant is owner of the land and valid permission has been granted in favour of the present applicant by the revenue authorities. It is further submitted that as per allegation of F.I.R., five children have drown in the water in the raining season in the brick kiln. It is further submitted that there is no pre-summoning evidence with regard to offence, as defined under Section 299, I.P.C. punishable under Section 304, I.P.C. against the applicant.

Prima facie, matter requires consideration.

Learned A.G.A. has accepted notice on behalf of opposite party No. 1.

Issue notice to opposite party no.2 returnable at an early date.

Learned A.G.A. as well as opposite party no. 2 may file their counter affidavits within three weeks. Rejoinder affidavit may be filed within one week thereafter.

List after eight weeks.

Until further orders of this Court, further proceedings of the aforesaid case shall remain stayed against the applicant.

Order Date :- 24.3.2025
T. Sinha

AUTHENTICATED COPY
26/03/25
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

ANNEXURE - R5

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 387/एक–11–2021–4(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :: 09 जून, 2021

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32–7/ 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के कम में प्रदेश सरकार द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्य–जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. शासन द्वारा घोषित उपर्युक्त आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में **कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को** राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. आपदा/दुर्घटनावश/डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में भेद किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रकिया का पालन किया जायेगा :–

(1) मृतक का पंचनामा किया जायेगा।

(2) किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि की दशा में उपजिलाधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है ताकि आपदा राहत राशि के दुरूपयोग को पूर्णतया रोका जा सके। डूबकर होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में भी उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रकिया का पालन किये जाने के उपरान्त ही राहत राशि भुगतान किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(3) आपदा/दुर्घटनावश/डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में अन्तर उक्त आधारों पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, आत्महत्या या अन्य आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप होती है, तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रित को कोई सहायता राशि अनुमन्य नहीं होगी।

4. उक्त घोषित राज्य आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

09/6/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 387(1)/एक–11–2021 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. राजस्व अनुभाग–10
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।